132

(22)

256

B.O.R.
3 OCT 2015

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प ,सागर म०प्र०

निग/3643-II-15

१- किशोरी तनय कहोरे लाल चौरसिया

२- हरप्रसाद तनय सरमन चौरसिया

३- राजेन्द्र तनय सरमन चौरसिया

निवासी ग्राम चंदेरा तह० लिधौरा जिला टीकमगढ़

-- आवेदक गण

विरुद्ध

१- हरचरण , गिरधारी तनय मुल्ले चौरसिया

२- श्रीमति भुवन पत्नि इच्छाराम चौरसिया

३- शोभाराम , रामसेवक तनय इच्छाराम चौरसिया

सभी निवासी ग्राम चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

-- अनावेदक गण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू० रा० संहिता १९५९

आवेदकगण की ओर से निम्न लिखित प्रार्थना है :-

१- यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लिधौरा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्र० ४५।अपील २०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक २२-९-१५ से परिवेदित होकर कर रहे हैं जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है ।

२- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के शामिल शरीक नाम से ग्राम चन्देरा में विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमि रा० अभि० में दर्ज थी । जिसके बटवारे बावत एक आवेदन पत्र उभय पक्षों द्वारा ग्राम पंचायत चन्देरा को प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर पटवारी द्वारा उभयपक्षों की उपरोक्त भूमि की फर्द बटवारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3673-II/15 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. इसके प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश दि २२-९-१५ से अनु अधि ने केवल विलम्ब माफ़ किया है. अभी प्रकरण में अंतिम तर्क उनके समक्ष होने बाकि हैं, जिसके दौरान उभयपक्ष के पास अपना अपना पक्ष समर्थ उनके समक्ष करने का अवसर उपलब्ध रहेगा. वैसे भी, विलम्ब माफ़ी के आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हों या हो गए होने संभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता. अतः मैं आक्षेपित आदेश दि २२-९-१५ में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही पाता, उसे यथावत रखता हूँ और यह निगरानी अग्राह्य करता हूँ. इसी के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. प्रकरण समाप्त. दा द हो. (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	